



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-23112022-240517
CG-MH-E-23112022-240517

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5233]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2022/अग्राहायण 2, 1944

No. 5233]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2022/AGRAHAYANA 2, 1944

रेल मंत्रालय

(पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 23 नवम्बर, 2022

का.आ. 5462(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (क) की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पश्चिम रेलवे) की अधिसूचना संख्या का. आ. 3461(अ), तारीख 27 जुलाई, 2022 द्वारा जारी और भारत के राज पत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 27 जुलाई, 2022 में प्रकाशित अधिसूचना से उपाबद्ध अनु सूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर परिवहन परियोजना-III के अंतर्गत विरार – डहाणू रोड चौहरीकरण परियोजना, के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात्, “फ्री प्रेस जर्नल” (अंग्रेजी), तारीख 06 अगस्त, 2022 और “लोकमत” (मराठी) तारीख 06 अगस्त, 2022 को प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किए गए थे;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जायेगी;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जायेगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर परिवहन परियोजना –III के अंतर्गत विरार – डहाणू रोड स्थानकों के दरम्यान तीसरी एवं चौथी रेलवे लाइन की विशेष रेल परियोजना हेतु डहाणू तालुका, जिला पालघर में अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिला : - पालघर

तहसील : - डहाणू

क्रम. सं.	ग्राम का नाम	गट संख्या (सर्वे संख्या)	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	संपादित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	पले	388	निजी	कृषि	0.04.54	गीता दिनेश नाईक नानी नारायण धोडी भारत नारायण धोडी राजू नारायण धोडी रमेश वैशाख धोडी
	पले	389	निजी	कृषि	0.17.96	शंकर दाजी धोडी अर्जुन दाजी धोडी चंपा वसंत धोडी संजय वसंत धोडी हरेश वसंत धोडी सुनीता गुलाब नाईक रेखा सीताराम दुबला
	पले	392	निजी	कृषि	0.17.99	राजेंद्र जेठमल नाहर अशोक जेठमल नाहर

[फा. सं. WNC 335/1 Vol. XVII-11]

पवन कुमार सिंह, मुख्य इंजिनियर (निर्माण)-I

MINISTRY OF RAILWAYS

(Western Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd November, 2022

S.O. 5462(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways(Western Railway), number S.O. 3461(E), dated the 27th July, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 27th July, 2022 and issued under the sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of a Special Railway Project namely, Quadrupling of Virar-Dahanu Corridor on Western Railway, of MUTP III Projects in the district of Palghar in the State of Maharashtra;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers namely, “Free Press Journal” (English), dated the 6th August, 2022 and “Lokmat” (Marathi) dated the 6th August, 2022 under the sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Central Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Quadrupling of Virar-Dahanu Road Corridor on Western Railway, of MUTP III Projects in Dahanu Taluka, District Palghar in the State of Maharashtra.

District : - Palghar

Tehsil :- Dahanu

Sr. No.	Village	Gut Number (Survey Number)	Type of Land	Nature of land	Area of acquired land (in Hectare)	Name of Landowner/Interested Persons
1	Pale	388	Private	Agricultural	0.04.54	Geeta Dinesh Naik Nani Narayan Dhodi Bharat Narayan Dhodi Raju Narayan Dhodi Ramesh Vaishakh Dhodi
	Pale	389	Private	Agricultural	0.17.96	Shankar Daji Dhodi Arjun Daji Dhodi Champa Vasant Dhodi Sanjay Vasant Dhodi Haresh Vasant Dhodi Sunita Gulab Naik Rekha Sitaram Dubla
	Pale	392	Private	Agriculture	0.17.99	Rajendra Jethmal Nahar Ashok Jethmal Nahar

[F. No. WNC 335/1 Vol. XVII-11]

PAWAN KUMAR SINGH, Chief Engineer /Construction-I